मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) सगवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश सुराणा (RAS)

उनवान

कुरीलाल पि० रूपा बनाम भूमिधारी (तहसीलदार) ऋषभदेव

दावा बाबत धारा 88, RT Act 1955
मुकदमा नम्बर :– 50/2017
निर्णय दिनांक :– 07-07-2017

वादी की ओर से कुरीलाल पि० रूपा की व प्रतिवादी की ओर से भूमिधारी (तहसीलदार) ऋषभदेव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07-07-2017 को शैलेश सुराणा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

मौजा सगवाड़ा पटवार मण्डल सगवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2070-71 के खाता संख्या 4 में पट्टेदार का नाम "कंकुआ पि० रूपा" के स्थान पर "कुरीलाल उर्फ कंकुआ पि० रूपा" दर्ज करने की घोषणा की जाती है। तदनुसार तहसीलदार ऋषभदेव रकम रेकर्ड में अमल दरामद करावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 07-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

07/07/2017

(शैलेश सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव

उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव (उदयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड	Nil	जोड	Nil